UPMZ010028262026

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर

उपस्थितः बीरेन्द्र कुमार सिंह, एच.जे.एस.

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1157 सन 2026

पंकज पुत्र दिनेश
निवासी ग्राम नावला थाना मन्सूरपुर
जनपद मुजफफरनगर

—आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

—अभियोजन पक्ष

अपराध संख्या— 172 सन 2025
सेशन वाद संख्या 1695 सन 2025
धारा —103 (1), 238
भारतीय न्याय संहिता
थाना— मन्सूरपुर
जनपद— मुजफ्फरनगर

07.03.2026

प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से थाना मन्सूरपुर के अपराध संख्या— 172 सन 2025 सेशन वाद संख्या 1695 सन 2025, धारा —103 (1), 238 भारतीय न्याय संहिता के मामले में इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है और उसे केवल गांव की पार्टीबाजी के कारण झूठा व फर्जी कथनों के आधार पर फंसाया गया है। यह भी कहा गया है कि कथित घटना दिनांक 01.05.2025 तथा 04.06.2025 की होना कहा गया है, जिसकी प्राथमिकी दिनांक 05.06.2025 को अत्यंत विलंब से लिखायी गयी है और उक्त विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इसी क्रम में यह भी कहा गया है कि मृतक के पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण भी निश्चित नहीं बताया गया है और कथित सीसीटीवी फुटेज में मात्र आवेदक/अभियुक्त को साथ आते जाते देखे जाने का कथन किया गया है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है और केवल शक के आधार पर उसे इस मामले मे लिप्त किया गया है। अंत में कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही वह पूर्व सजायाफता है तथा वह दिनांक

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.03.07 17:36:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

06.06.2025 से जिला कारागार में निरूद्व है। इस प्रकार जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी। समर्थन में शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

2 अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक द्वारा विरोध करते हुए कहा गया कि, आवेदक/अभियुक्त ने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतक के साथ शराब के ठेके पर शराब पी और मृतक को गाली गलौज करके जान से मारकर खेत में फेक दिया जहां से उसकी लाश सड़ी गली अवस्था में बरामद हुई और आवेदक/अभियुक्त को सह अभियुक्तगण के साथ मौके पर खड़े सीसीटीवी फुटेज में देखा व पहचाना गया है जैसा कि वादी मुकदमा आशीष एवं गवाह आदेश ने अपने बयानों में बताया है। बाद विवेचना आवेदक/अभियुक्त व सह अभियुक्त अभिषेक के विरूद्व प्रथम दृष्टया हत्या व शव छिपाने संबंधी आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। जमानत निरस्त करने की मांग की गयी। यह भी कहा गया है कि सह अभियुक्त अभिषेक की जमानत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.10.2025 को निरस्त की जा चुकी है।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक को सुना तथा तलबशुदा सेशन वाद संख्या 1695 सन 2025 की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं पुलिस रिपोर्ट का अवलोकन किया।

4. पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रस्तुत प्रकरण की प्राथमिकी वादी मुकदमा आशीष द्वारा दिनांक 05.06.2025 को समय 22.09 बजे संबधित थाना मन्सूरपुर पर पंजीकृत करायी गयी है, जिसमें कहा गया है कि उसका भाई मुकुल जो पंचगंगा होटल पर पिछले कई वर्षो से काम करता था, दिनांक 31.05.2025 को घर से शाम को होटल के लिये बाईक लेकर निकला था। वह रात की डयूटी करता था। कभी कभी वह दिन रात की ड्यूटी कर लेता था। जब दो दिन बीत गये तो वह नहीं आया तो उसने होटल पर जाकर पूछा, तो होटल वालों ने बताया कि दिनांक 01.06.2025 को सुबह मुकुल अपनी डयूटी समाप्त करके बाईक से घर चला गया था। उसने दिनांक 02.06.2025 को मुकुल को कॉल किया तो उसका मोबाईल बंद पाया गया। उसके भाई मुकुल की बाईक ग्राम नावला के जंगल में गययूर के खेत के पास मिली थी जिसको ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के घर पहुंचा दिया था। दिनांक 04.06.2025 को उसके भाई मुकुल का शव सड़ी गली अवस्था में गययूर के ईख के खेत में पडा मिला था। उसके गांव के आकाश ने उसे बताया कि दिनांक 01.06.2025 को उसने मुकुल को शराब के ठेके पर देखा था जो पूजा होटल के पीछे है। तब उसने ठेके पर जाकर सेल्समैन को अपने भाई की फोटो दिखाकर पूछा था तो सेल्समैन ने बताया था कि मुकुल के साथ दो व्यक्ति और थे जो बाद में शराब पीकर तीनों एक साथ बाईक पर बैठकर गये थे। उसने उनके सीसीटीवी कैमरे में देखा तो उसके भाई के साथ उसके गांव का पंकज व अभिषेक थे। उसे शक है कि पंकज व अभिषेक ने उसके भाई की हत्या कर शव को ईख के खेत में फेंक दिया।

5. अतः प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक/अभियुक्त पर सह अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भाई की हत्या कर साक्ष्य विलोपित करने के आशय से उसके शव को ईख के खेत में फेक देने का आरोप बताया गया है। तलबशुदा सेशन वाद की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि मृतक मुकुल का पोस्टमार्टम दिनांक04.06.2025 को हुआ है, जिसमें उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें आना अंकित किया गया है :–

1. Left side shoulder to hand skin and muscle are absent bone visible.
2. Lower chest to lower abdomen skin and muscle are absent internal organ visible.
3. Right foot size shorter then left foot and less muscle mass present over left leg then right leg.

मृतक की मृत्यु का कारण निश्चित ना होने के कारण विसरा संरक्षित किय गया है। तलबशुदा सेशन वाद की पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि विवेचक के द्वारा वादी मुकदमा आशीष का बयान अंतर्गत धारा 180 दंड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया है, जिसमें उसके द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कथन किया गया है कि .....उसके गांव के आदेश ने उसे बताया था कि दिनांक 01.06.2025 को उसने मुकुल को शराब के ठेके पर देखा था। तब उसने ठेके पर जाकर सेल्समैन को अपने भाई की फोटो दिखाकर पूछा तो सेल्समैन ने बताया कि मुकुल के साथ दो व्यक्ति और थे जो बाद में शराब पीकर तीनों एक साथ बाईक पर बैठकर गये थे। उसने सीसीटीवी कैमरे में देखा तो उसके भाई के साथ गांव के पंकज व अभिषेक थे। साक्षी आदेश के द्वारा भी अपने धारा 180 बीएनएसएस के बयान में दिनांक 01.06.2025 को सुबह करीब साढे दस बजे पूजा होटल के पीछे स्थित शराब के ठेके पर गांव के मुकुल, पंकज व अभिषेक को देखा था जो आपस में बातचीत कर रहे थे और गले मिल रहे थे। इस प्रकार उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में जबकि बाद विवेचना आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व मामले में आरोप पत्र प्राप्त किया जा चुका है और आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व कथित अपराध में संलिप्त होने के संबंध में सीसीटीवी फुटेज के साथ–साथ वादी मुकदमा आशीष व साक्षी आदेश के बयान केस डायरी में अंकित है तथा आवेदक/अभियुक्त की निशानदेही पर मृतक के मोबाईल की बरामदगी का ध्यान में रखते हुए मेरे विचार में, आवेदक/अभियुक्त की ओर से बताया गया जमानत आधार उचित एवं पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तदनुसार अभियुक्त **पंकज पुत्र दिनेश** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
सेशन न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर

दिनांक : 07.03.2026

sv